

—उन्सठ—

उत्तर प्रदेश सरकार
कर एवं निबन्धन अनुभाग-5
संख्या क0नि0-5-3172 / 11-2005-500(68)-2004
लखनऊ, दिनांक 09 अगस्त, 2005
अधिसूचना
आदेश

प0आ0-372

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथासंशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल सरकारी अधिसूचना संख्या एस0आर0-2365 / 11-96-500(12)-89, दिनांक 29 अगस्त, 1996 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं।

संशोधन

उपर्युक्त अधिसूचना के स्पष्टीकरण-एक में खण्ड (19) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा और उसे 03 मई, 2005 से रखा हुआ समझा जाएगा।

“(19) ऐसे किसी क्रियाकलाप से सम्बन्धित उपकरणों, ट्रैक्टर और मशीनरी का अर्जन।”

आज्ञा से,
ह0अस्पष्ट
अतुल चतुर्वेदी,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Government notification no. K.N. 5-3172/XI-2005-500(68)-2004, dated August 9, 2005 for general information:

No. K.N. 5-3172/XI-2005-500(68)-2004
Lucknow, Dated August 9, 2005
Notification
Order

In exercise of the powers under clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act no. 2 of 1899) as amended in its application to Uttar Pradesh read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897), the Governor is pleased to make the following amendment in Government notification no. SR-2365/XI-96-500(12)-89, dated August 29, 1996.

AMENDMENT

In the aforesaid notification, in Explanation-I for clause (19) the following clause shall be substituted and be deemed to have been substituted from May 3, 2005 :

"(19) the acquisition of implements, tractor and machinery in connection with any such activity"

By order,
Sd/-Illegible
ATUL CHATURVEDI
Pramukh Sachiv.